# सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा

**पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, (आर.ए.एस)**

राजस्व वाद संख्या 224 /2021

वादी :– भास्वरराम पुत्र आसूराम रबारी

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. हमीराराम पु० आसूराम
2. मोडाराम पु० आसूराम
3. अणसी पु० आसूराम
4. तहसीलदार पचपदरा

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती**

उपस्थिति :– 1. श्री स्वयं स्वय वादी।
2. श्री स्वयं प्रविवादीगण

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

## निर्णय

दिनांक :– 3/12/21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 868/19, 963/355, 1184/664 रकबा 49-07 बीघा, सरहद मौजा सराणा, तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिंग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम आसलाराम होने से राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं स्कूल रेकर्ड में वादी का सही नाम भारवरराम [illegible] है। [illegible] किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फा[illegible] प्रा[illegible] करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज आसलाराम के स्थान पर भारव[illegible] किया जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:56 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

## केम्प कोर्ट........सरावा.......

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. भाखरराम पुत्र आसुराम रबारी<br><br>तहसील पचपदरा जिला बाडमेर | | 1. हमीराराम S/o आसुराम<br>2. जोडाराम S/o आसुराम<br>3. अणची S/o आसुराम<br><br>राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक<br>तहसीलदार पचपदरा |

*राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम*

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ......स्वयं........ ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ..........स्वयं.................. पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ..868/19, 963/355........ रकबा ..........49-07....... बीघा, सरहद मौजा ..................... .................. 1184/664

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम .........अखाराम.................पुत्र .........आसुराम ...... के स्थान पर .........भाखरराम......... पुत्र .........आसुराम.....खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .......3/12/21....... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:56 IST
Reason: SelfAttested

| मुद्दई | रुपया | पै. | मुद्दयलाह | रुपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | | | स्टाम्प अरजीदावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प [illegible] | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महताना [illegible] | | |
| खर्चा गवाहान | | | [illegible] | | |
| फीस कमिश्नर | | | [illegible] | | |
| बबत इजराय | | | | | |
| हुम्मनामा | | | | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | | | |

प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ....आम्बाराम.... पुत्र ....आसुराम.... के स्थान पर ....भाखरराम.... पुत्र ....आसुराम.... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी ....तहसीलदार पचपदरा.... से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा न0 ....868/19, 963/365, 1184/664.... रकबा ....49-07.... बीघा ............... सरहद मौजा ....सराणा.... तहसीलदार पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड प्यार का नाम ....आम्बाराम.... दर्ज किया गया । वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ....सराणा.... एवं तहसीलदार ....पचपदरा....की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम....आम्बाराम.... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ....भाखरराम.... पुत्र ....आसुराम.... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

**उपरोक्त विवेचन वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मजमें आम में की जांच रिपोर्ट के आधार खेत खसरा नं ....868/19, 963/365, 1184/664.... रकबा ....49-07.... बीघा, वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....आम्बाराम.... के स्थान पर ....भाखरराम.... पुत्र ....आसुराम.... घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।**

**निर्णय आज दिनांक ....3/12/21.... को शिविर....सराणा.... में मजमें आम में सुनाया गया।**

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:56 IST
Reason: SelfAttested